IT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

क्रमांकः–प.2(6359)डीओआईटी/संस्था/14/I/52999/2016

जयपुर, दिनांकः04/07/16

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायको को जिन्होनें अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधी निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कालम सं. 6 में उल्लेखित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 22 एवं शिड्यूल v के क्रम मे वित्त विभाग की अधिसूचना प.14(1)वित्त (नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 के अनुसार सूचना सहायक पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी.–1) 5200–20200 (ग्रेड पे नं. 10) ग्रेड पे–2800 मे मूल देय वेतन 11170/–(8370/– + ग्रेड पे 2800/–) एवं नियमानुसार अन्य भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रम सं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधी (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान मे उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	ममता बाई	कार्यालय राज ऋषि भतृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	05.06.2014	04.06.2016	05.06.2016
2.	ललिता तेली अजमेरा	कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता राजसमन्द	20.09.2013	19.09.2015	20.09.2015
3.	मोहम्मद वसीम	कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक	06.06.2014	05.06.2016	06.06.2016
4.	माया कुमारी	आयुक्तालय, उद्योग विभाग, जयपुर	20.09.2013 मध्यान्ह पश्चात्	20.09.2015	21.09.2015

उक्त सभी सूचना सहायको का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा। नियमितिकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टी का इन्द्राज आवश्यक रूप से सम्बंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मे किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

क्रम सं. 2 व 4 में अंकित सूचना सहायको की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2016 होगी।
क्रम सं. 1 व 3 में अंकित सूचना सहायको की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2017 होगी।

आज्ञा से,

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. सम्बंधित कर्मचारी।
3. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

कार्यालयाध्यक्ष